चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : उ0पु0/1185 **NAAC A++** दिनांक : 29-01-2026

विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपठन– पाठन, परीक्षा, मूल्यांकन एवं समय से परीक्षाफल घोषित करना है। जैसा कि आप अवगत हैं कि विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षाऐं संचालित की जा रही हैं एवं साथ ही मूल्यांकन कार्य भी सम्पांदित किया जा रहा है। परीक्षाऐं लगभग समाप्ति की ओर हैं। विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। किन्तु कतिपय पाठ्यक्रमों के शिक्षकगण मूल्यांकन हेतु उपस्थित नही हो रहें हैं जिस कारण मूल्यांकन कार्य प्रभावित हो रहा है तथा मूल्यांकन प्रभावित होने के कारण परीक्षाफल भी विलंम्बित होगा।

मा0 परीक्षा समिति की दिनांक 26.06.2025 को आहूत बैठक की कार्यवृत के मद/संकल्प संख्या–11 में उपरोक्त प्रकरण में निम्न निर्णय लिया गया :–

"भविष्य में सभी विषयों के सभी शिक्षक उत्तर पुस्तिकायें जॉचे यह सुनिश्चित किया जायें। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन न करने वाले शिक्षकों को प्रत्योगात्मक परीक्षा हेतु न नियुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया। "

अतः उक्त निर्णय के अनुपालन में समस्त प्राचार्य/प्राचार्या से अनुरोध है कि मूल्यांकन हेतु शिक्षकगण को मूल्यांकन हेतु अवमुक्त करने का कष्ट करें। विश्वविद्यालय से सम्बद्व समस्त शिक्षकगण से अपेक्षा है कि मूल्यांकन समन्वयक द्वारा मूल्यांकन हेतु आमन्त्रित किये जाने पर मूल्यांकन कार्य में सहयोग प्रदान करे, यदि कोई भी शिक्षकगण मूल्यांकन हेतु आमन्त्रित करने पर मूल्यांकन केन्द्र पर मूल्यांकन हेतु उपस्थित नहीं होगें तो मा0 परीक्षा समिति के निर्णय के आलोक में उन्हे प्रयोगात्मक परीक्षा हेतु नियुक्त नहीं किया जायेगा।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :–

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया जी के सादर संज्ञानार्थ।
02. वैयक्तिक सहायक–कुलसचिव को कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
03. वैयक्तिक सहायक–परीक्षा नियंत्रक को परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
04. समस्त विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष, चौधरी चरण सिहं विश्वविद्यालय, मेरठ के सूचनार्थ।
05. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/केन्द्र पर्यवेक्षक को सूचनार्थ।

सहा0 कुलसचिव (गोप0)